अध्याय 24

रियायतें

विभिन्न दर पर यात्रा करने हेतु यात्रियों को विभिन्न श्रेणियों में रियायत दी जाती है। इन रियायतों का विस्तृत विवरण कोचिंग टेरिफ नं. 25 पार्ट 1 वाल्यूम 2 में दर्शाया गया है।

रियायत सम्बन्धी महत्वपूर्ण नियम

1) यात्रा किराया हमेशा मेल एक्सप्रेस गाडियों का ही लिया जाता है चाहे यात्रा साधारण गाड़ी से की जा रही हो।

2) रियायती दर पर दिये गये टिकटों पर न्यूनत्तम किराया नियम लागू नहीं होता है।

3) जब किसी यात्रा का व्यय केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय/सरकारी उपक्रम/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाता है तो रियायत नहीं दी जाती है। परन्तु महविद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थी रियायत के पात्र हैं।

4) रियायत केवल यात्रा के मूल किराये में ही दी जाती है। अन्य प्रभार जैसे आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क एवं संरक्षा सरचार्ज आदि में कोई रियायत देय नहीं है।

5) जिन रियायती आदेशों पर दूरी का प्रतिबन्ध है उससे कम किराया नहीं लिया जाता है।

6) एक समय पर एक यात्री को एक से अधिक रियायत नहीं दी जाती है।

7) जहाँ वापसी यात्रा के लिये रियायत दी जाती है वहाँ बाह्य और वापसी यात्रा एक ही रास्ते से करनी होगी। अन्य रास्ते से यात्रा करते हुए पाये जाने पर यात्रा मार्ग के उस भाग पर, जो टिकट पर उल्लेखित नहीं है, पर बिना टिकट का यात्री माना जाता है।

8) छात्रों को रियायती आदेश घर जाने हेतु केवल संस्था की छुट्टी होने पर ही दिया जाता है परन्तु परीक्षा समाप्ति पर संस्था प्रधान द्वारा टिप्पणी दिये जाने पर यात्रा हेतु वैध है।

9) छात्र रियायती आदेश पर टिकट लेने के लिये बाह्य यात्रा के लिये 14 दिन व वापसी यात्रा के लिये 3 माह तक वैध है। सीजन टिकट के लिये यह अवधि 3 दिन है व यात्रा केवल छुट्टी के दौरान ही करेगा।

10) फ्री अलाउन्स सामान्य टिकटों के अनुसार ही दिया जाता है।

11) विशे-ा प्रयोजन के लिये दिये जाने वाले रियायती टिकटों पर यात्रा विराम का प्रावधान नहीं है परन्तु जिन टिकटों पर यात्रा विराम अनुमत है उन टिकटों पर सामान्य टिकटों के अनुसार नियम लागू होगें।

12) रियायती टिकट सामान्य और यथोचित सीधे मार्ग से ही जारी किये जाएगें।

13) जिन रियायती आदेशों पर केवल द्वितीय श्रेणी (उन्हें स्लीपर श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति है) में यात्रा करने की अनुमति है और वह यात्री यदि उच्चत्तर श्रेणी में यात्रा करना चाहता है तो उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा यानी उच्चतर श्रेणी के किराये में से जितना किराया अदा किया जा चुका है उतना कम करके शे-न वसूल किया जाएगा।

14) जिन रियायती आदेशों पर प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति है,उसके धारक यदि 2AC श्रेणी में यात्रा करना चाहते हैं तो रियायती दर पर दिया गया प्रथम श्रेणी का टिकट पूरा किराया दिया टिकट माना जाता है तथा 2AC के किराये में से प्रथम श्रेणी का पूरा किराया कम करके अन्तर और वसूल किया जाता है।

15) रियायती टिकट के घारक राजधानी, अगस्त क्रान्ति व शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा नहीं कर सकते हैं परन्तु वरि-ठ नागरिक, प्रैस संवादाता व एम.बी.बी.एस. डॉक्टर अनुमत है।

16) अन्धे व अपाहिज बच्चे जिनकी आयु 5 व-र्ा से कम है, के लिये केवल मार्गरक्षी का ही रियायती दर पर किराया लिया जाएगा।

17) रियायत प्रदान करते समय रा-ट्रीयता को नहीं देखा जाएगा। यदि रियायत प्रदान करने की सभी शर्तें पूरी होती हों तो रियायत दी जाएगी।

18) रियायत केवल स्टेशन पर बुकिंग या रिजर्वेशन ऑफिस में ही दी जाएगी, गाड़ी में ट्रेन कण्डक्टर के द्वारा कोई रियायत प्रदान नहीं की जाएगी।

यात्री के मार्गरक्षी के लिये रियायतें

यात्री के मार्गरक्षी को भी यात्री किराये में समान रियायत दी जाएगी जो कन्सेशन धारक को दी जाती है। जिन मामलों में मार्गरक्षी अनिवार्य है, उस मामले में रियायत मार्गरक्षी के होने पर निर्भर करेगी।

1) अन्धे व्यक्ति के साथ

2) विकलांग के साथ (अनिवार्य)

3) मानसिक रूप से मन्दित के साथ (अनिवार्य)

4) मूक बधिर

5) क्षय रोगी

6) केन्सर रोगी

7) हमोफीलिया

8) छात्राएं किसी भी आयु की व छात्र 12 व-र्ा से कम आयु के (प्रति चार पर एक मार्गरक्षी)

9) छात्र (ग्रुप) प्रति दस पर एक [अध्ययन पर्यटन]

10) विदेशी छात्र (ग्रुप) प्रति पन्द्रह पर एक [अध्ययन पर्यटन]

11) रा-ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे

12) थैलीसेमिया रोगी

13) हृदय रोगी (ओपन हार्ट सर्जरी के लिये)

14) गुर्दा रोगी (ट्रांसप्लांट या डायलेसिस के लिये)

किराये में 75% रियायत		श्रेणी
1)	विकलांग। *	प्रथम, द्वितीय व शयनयान
2)	अन्धा व्यक्ति। *	प्रथम, द्वितीय व शयनयान
3)	मानसिक रूप से मन्द। *	प्रथम, द्वितीय व शयनयान
4)	क्षय रोगी	प्रथम, द्वितीय व शयनयान
5)	केन्सर रोगी। *	प्रथम, द्वितीय व शयनयान
6)	असंक्रामक कु-ठ रोग से पीडित व्यक्ति	प्रथम, द्वितीय व शयनयान
7)	थैलीसिमिया रोगी। *	प्रथम, द्वितीय व शयनयान
8)	युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाएं	द्वितीय व शयनयान
9)	भारतीय शांति सेना के मारे गये सैनिकों की विधवाएं	द्वितीय व शयनयान
10)	प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्कार से सम्मानित औधोगिक कामगार	द्वितीय व शयनयान
11)	आतंककारियों के खिलाफ कार्रवाई में मृत पुलिसकर्मियों की विधवाएं	द्वितीय व शयनयान
12)	हृदय रोगी (ओपन हार्ट सर्जरी के लिये)*	प्रथम, द्वितीय व शयनयान
13)	गुर्दे की खराबी के रोगी (डायलेसिस/ट्रान्सप्लान्ट)*	प्रथम, द्वितीय व शयनयान
14)	हीमोफीलिया	प्रथम, द्वितीय, शयनयान, एसी.3टी,ए.सी.चे.कार

नोट : विकलांग / पैरेलेटिक / मानसिक रोगी यदि दो है तो इनके साथ एक मार्गरक्षी यात्रा कर सकता है। इस हेतु मार्गरक्षी को लिखकर देना होगा। यह सुविधा कन्फर्म, आर.ए.सी. तथा प्रतिक्षा सूची के लिए है, बिना आरक्षण वाली टिकटों पर नहीं।

* कोटियों को ACFC व AC 2 Tier में 50% व AC 3 Tier AC Chair Car में 75% रियायत भी दी जाएगी।

किराये में 50% रियायत		श्रेणी
1.	छात्र	द्वितीय*
2.	मूक बधिर	प्रथम व द्वितीय
3.	खिलाडी	प्रथम व द्वितीय

4.	स्काउट व गाइड	द्वितीय
5.	रा-ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत अध्यापक	द्वितीय
6.	रा-ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त बच्चे (18 व-र्ा की आयु तक)	द्वितीय
7.	द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कोच	द्वितीय
8.	बेरोजगार (साक्षात्कार हेतु) ◘	द्वितीय
9.	यू.पी.एस.सी. या एस.एस.सी. की मैन लिखित परीक्षा	केवल द्वितीय

◘ सरकारी नौकरियों के साक्षत्कार हेतु 35व-र्ा की आयु तक फ्री यात्रा की जा सकती है।

* केवल उपनगरीय खण्ड पर प्रथम श्रेणी में भी दिया जाता है। अ.जा. व अ.ज.जा. विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के किराए पर 50 प्रतिशत और रियायत प्रदान की जाएगी।

किराये में 25% रियायत		श्रेणी
1)	सेंट जॉन एम्बुलेंस के सदस्य	द्वितीय
2)	रिलीफ वेलफेयर एम्बुलेंस कोर,कलकत्ता के सदस्य	द्वितीय
3)	सर्विस सिविल इन्टरनेशनल के स्वयं सेवक	द्वितीय
4)	किसान दल (कम से कम 20)	द्वितीय
5)	औधोगिक मजदूर (कम से कम 20)	द्वितीय
6)	नर्स या मिडवाइफ	द्वितीय
7)	अध्यापक (आय मासिक 5000 रू तक)	द्वितीय

किराये में 30% रियायत		श्रेणी
1)	वरि-ठ पुरु-ा नागरिक 60व-र्ा या उससे अधिक सभी श्रेणियों तथा सभी गाड़ियों में (वरि-ठ महिला 60व-र्ा या उससे अधिक को 50 प्रतिशत) रियायत प्रदान की जायेगी	

सीजन टिकट में 50% रियायत	
1)	विद्यार्थी
2)	अंधा व्यक्ति
3)	विकलांग व्यक्ति
4)	मानसिक रुप से विक्षिप्त व्यक्ति
5)	गूंगा और बहरा व्यक्ति
6)	ऑस्टोमी रोगी

***

अध्याय 25

ब्रेकजर्नी (यात्रा विराम)

जिस यात्री के पास लम्बी दूरी की टिकट है उसे ब्रेकजर्नी (यात्रा विराम) की सुविधा दी गई है। इसके नियम निम्नलिखित है --

1) यात्री के पास 500 किमी से अधिक दूरी का टिकट होना आवश्यक है।

2) पहली ब्रेकजर्नी 500 किमी की यात्रा पूरी करने के बाद की जा सकती है।

3) यदि यात्री के पास 1000 किमी तक का यात्रा टिकट है तो एक बार व 1000 किमी से अधिक दूरी का यात्रा टिकट है तो वह दो बार ब्रेकजर्नी कर सकता है।

4) एक ब्रेकजर्नी में अधिकत्तम दो दिन अनुमत है लेकिन ब्रेकजर्नी करने का दिन व पुनः यात्रा शुरू करने का दिन शामिल नहीं है।

5) ब्रेकजर्नी करते समय पृ-ठांकन करवाना आवश्यक है, पृ-ठांकन में ब्रेकजर्नी का दिन, गाड़ी संख्या तथा टी सी के हस्ताक्षर किये जाएगें। यदि यात्री पृ-ठांकन नहीं करवाता है तो उसका टिकट आगे की यात्रा के लिये वैध नहीं रहेगा।

6) उपनगरीय रेलवे खण्ड पर सिंगल जर्नी टिकट पर ब्रेकजर्नी की अनुमति नहीं है।

7) रेलवे सुविधा पास धारी व्यक्ति कितने भी स्टेशनों पर ब्रेकजर्नी कर सकता हैं जो पास पर व्यक्त हैं इसके अलावा यदि किसी अन्य स्टेशन पर ब्रेक जरनी करना चाहे तो कर सकता है किंतू उसे उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर से पास पर पृष्ठांकन करवाना होगा।

8) राजधानी व शताब्दी एक्सप्रेस के यात्री ब्रेक जर्नी नहीं कर सकते हैं।

9) स्टेन्डर्ड व नॉन स्टेन्डर्ड सर्क्यूलर जर्नी टिकट धारी यात्री उन्हीं स्थानों पर ब्रेक जर्नी कर सकते हैं जो उनके टिकट पर लिखे हों । अधिकत्तम आठ स्टेशनों पर ब्रेक जरनी की जा सकती है।

10) सीजन टिकट पर ब्रेकजर्नी नहीं की जा सकती हैं।

11) आरक्षित टिकट पर ब्रेकजर्नी करने हेतु ब्रेकजर्नी करने के स्थान की घो-णा आरक्षण कराते समय आरक्षण माँगपत्र पर ही करना आवश्यक है।

12) इन्डरेल पास पर अवधि के दौरान किसी भी स्टेशन पर कितने भी दिन ब्रेकजर्नी की जा सकती है, इन्हें पृ-ठांकन करवाने की आवश्यकता नहीं है।

13) विशे-न परिस्थितियों के लिये जारी किये गये रियायती टिकट पर ब्रेकजर्नी की अनुमति नहीं है।

14) विशे-न प्रयोजन के लिये जारी रियायाती टिकटों पर यात्रा विराम का प्रावधान नहीं है परन्तु जिन टिकटों पर यात्रा विराम अनुमत है उन पर सामान्य टिकटों के अनुसार नियम लागू होगें।

15) नियम विरूद्ध यात्रा विराम करने पर तो उसका टिकट जमा कर लिया जाएगा। रिफन्ड के लिये टी डी आर जारी की जाएगी। यदि उसे यात्रा करनी है तो नया टिकट लेना पडेगा।

16) दुर्घटना में घायल/ मारे गये यात्री के परिजनों को जारी ***मानार्थ*** पास पर ब्रेकजर्नी अनुमत नहीं है।

***